

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 9 एच०एल०ए०

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और उससे आनुवंशिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
- (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "शव" से अभिप्राय है, किसी मृत इंसान का शरीर, जिसे परिवार के किसी सदस्य द्वारा अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाने से इनकार कर दिया जाता है या ले जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन के प्रयोजन से उपयोग किया जाता है;
 - (ख) "पारिवारिक सदस्य" में शामिल हैं, पिता, माता, पत्नी, भाई, सुपुत्र, सुपुत्री या कोई भी व्यक्ति, जो विवाह या दत्तक-ग्रहण द्वारा मृतक से संबंधित है या संयुक्त परिवार में एक साथ रहने वाला कोई पारिवारिक सदस्य;
 - (ग) "आनुवंशिक डेटा" से अभिप्राय है, डी०एन०ए० या आर०एन०ए० के विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त शव को विरासत में मिली या से प्राप्त आनुवंशिक विशेषताओं से सम्बन्धित व्यक्तिगत डेटा;
 - (घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (ङ) "अंतिम संस्कार" से अभिप्राय है, उस समुदाय या धर्म की परंपरा या रीति-रिवाज, जिससे मृतक सम्बन्धित था, के अनुसार शव का अंतिम संस्कार;
 - (च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
 - (छ) "विरोध-प्रदर्शन" से अभिप्राय है, किसी शव का अंतिम संस्कार करने से रोकने के लिए किसी प्रदर्शन, अवज्ञा या आन्दोलन के माध्यम से मांग करना या किसी मांग को मनवाने के लिए परेशान करना; तथा

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) और हरियाणा शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो संहिताओं या अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

अंतिम संस्कार का अधिकार।

3. तत्समय लागू किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक शव को सम्मानजनक रूप में तथा समय पर अंतिम संस्कार का अधिकार होगा।

पारिवारिक सदस्य द्वारा शव का कब्जा लेना।

4. इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धित विधिक प्रक्रिया की सम्यक् अनुपालना करने के पश्चात्, शव को कब्जे में लेने का परिवार के सदस्य का कर्तव्य होगा और सुनिश्चित करेगा कि पुलिस या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या अस्पताल प्रबन्धन द्वारा शव सौंपे जाने पर अंतिम संस्कार किया गया है:

परन्तु परिवार के सदस्य द्वारा शव ले जाने से इनकार करने की स्थिति में, जिससे वह अंतिम संस्कार से वंचित हो जाए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम संस्कार तुरन्त किया गया है:

परन्तु यह और कि महामारी फैलने या किसी आपदा की स्थिति में, जिसमें व्यक्ति का शव पारिवारिक सदस्य को नहीं सौंपा जा सकता, तो सरकार, ऐसे शव के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।

विरोध-प्रदर्शन के लिए शव का उपयोग नहीं किया जाना।

5. परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन के लिए शव का स्वयं उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शव का उपयोग करने के लिए उकसाएगा नहीं या सहमति नहीं देगा।

पुलिस अधिकारी की शव को कब्जे में लेने की शक्ति।

6. (1) जब कभी किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास व्यक्तिगत जानकारी से या अन्यथा से लिपिबद्ध कारणों से यह विश्वास करने का कारण है कि किसी शव का उपयोग परिवार के किसी सदस्य द्वारा या व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा विरोध-प्रदर्शन के लिए किए जाने की संभावना है या इस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, तो वह शव को अपने कब्जे में ले लेगा और इस आशय की सूचना तुरन्त सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(2) शव को अपने कब्जे में लेने के पश्चात्, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी शव को तुरन्त शव-परीक्षा के लिए भेजेगा, यदि ऐसा नहीं किया गया है। प्रभारी अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है, तो कारणों को लिपिबद्ध करने के बाद, शव को पुनः शव-परीक्षा के लिए भेज सकता है।

शव के संचयन के लिए अस्पताल प्रबन्धन की बाध्यता।

7. अस्पताल प्रबन्धन,—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि सड़ने और क्षति से बचाव के लिए डीप फ्रीजर में सुरक्षित अवस्था में शव का संचयन किया गया है; और

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि शव को गरिमापूर्ण रीति में रखा गया है।

8. (1) धारा 6 के अधीन सूचना प्राप्त होने के पश्चात्, सम्बन्धित कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मृतक के परिवार के किसी सदस्य को शव को अभिरक्षा में लेने के लिए और शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस देगा। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति।

(2) जब कभी भी, कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या उप-धारा (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट हो जाता है कि पारिवारिक सदस्य शव का अंतिम संस्कार करने का इच्छुक नहीं है, तो वह परिवार के सदस्य को आदेश में यथा वर्णित समय अवधि, जो बारह घंटे से अधिक न हो, के भीतर शव का अंतिम संस्कार करने और सार्वजनिक स्थल से विधिविरुद्ध अवरोध, यदि कोई हो, को तुरन्त प्रभाव से हटाने के लिए आदेश जारी करेगा:

परन्तु यदि विधिविरुद्ध अवरोध हटा दिया गया है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि पारिवारिक सदस्य के पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, शव का अंतिम संस्कार करने के लिए समय अवधि को बढ़ा सकता है:

परन्तु यह और कि यदि पारिवारिक सदस्य विनिर्दिष्ट अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार नहीं करता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, आगामी बारह घंटों के भीतर अंतिम संस्कार करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय या संबंधित ग्राम पंचायत के किसी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, को निर्देश देगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश विधि के किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

9. शव के प्रत्येक मामले में, अस्पताल प्रबन्धन द्वारा मृतक के फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे और मृतक की शव-परीक्षा की विडियोग्राफी की जाएगी और इसके लिए व्यवस्था सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। शव-परीक्षा की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी।

10. शव की आनुवंशिक डेटा सूचना, डी0एन0ए0 या आर0एन0ए0 प्रोफाइलिंग के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और इसका रख-रखाव सावधानीपूर्वक और गोपनीय रूप से किया जाएगा। सूचना को ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के लिए अनुरक्षित किया जाएगा। आनुवंशिक डेटा की सूचना का संरक्षण।

11. कोई भी व्यक्ति, क्षतांकन और सामाजिक आलोचना से बचने के लिए मृतक से सम्बन्धित नैदानिक रिकार्ड की किसी भी सूचना को तब तक प्रकट नहीं करेगा, जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो या लोकहित में न हो और मृतक के हित में न हो। सूचना की गोपनीयता।

12. यदि कोई शव अदावाकृत रहता है, तो उसका निपटान हरियाणा शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1974 (1974 का 24) के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। अदावाकृत शव का निपटान।

13. कोई भी व्यक्ति, जो शव का उपयोग विरोध-प्रदर्शन करने के लिए करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा। विरोध-प्रदर्शन करने के लिए दण्ड।

आनुवंशिक डेटा सूचना तथा गोपनीयता की सूचना के प्रकटीकरण के लिए दण्ड।

दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्यंत्र के लिए दण्ड।

सदभावपूर्वक की गई कारवाई का संरक्षण।

नियम बनाने की शक्ति।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

14. कोई भी व्यक्ति, जो विधि द्वारा प्राधिकृत न हो या जो इस प्रकार प्राधिकृत हो किन्तु जो उचित प्रक्रिया अपनाए बिना या विधि द्वारा प्राधिकृत किए बिना, किसी प्रकार की आनुवंशिक डेटा सूचना और गोपनीयता की सूचना को प्रकट करता है, तो वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा तथा एक लाख रूपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा।

15. जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण, प्रयास या षड्यंत्र करता है, तो उसी रीति में दण्डित किया जाएगा मानो उसने स्वयं वह अपराध किया हो।

16. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवा के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के सम्मुख को कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

17. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित "जीवन के अधिकार" के दायरे में "मृतकों के अधिकार और सम्मान" शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर को भी प्राप्त है। मृतक के प्रति सम्मान और आदर मानवीय गरिमा की पहचान है। मृत व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को ध्यान में रखते हुए, किसी भी व्यक्ति को शव का समय पर अंतिम संस्कार न करके किसी भी तरह का विरोध या आंदोलन करके किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उकसाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के विरोध के लिए शव का उपयोग न करे या न करने दे। ~~आ संस्कार~~

एक कानून अर्थात् "हरियाणा ~~मानवीय~~ शव निपटान विधेयक, 2025" शव के सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान करता है और, परिवार के सदस्यों द्वारा शव को अस्वीकार करने और इस तरह अंतिम संस्कार से वंचित करने की स्थिति में, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए, यह विधेयक अपेक्षित है।

इसलिए, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ सतीश कुमार,
सचिव ।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2025 के खंड 17 की धारा की अपेक्षा अनुसार राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को पहले जैसे ही बनाया जाएगा, उसके बाद राज्य विधान सभा में रखा जाएगा। इसलिए, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के तहत आवश्यक रूप में प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन ।